(10)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2702–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–7–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 805/अपील/12–13.

1– रमेशचन्द पुत्र दुलीचन्द जैन
2– दीपचन्द पुत्र दुलीचन्द जैन
निवासीगण कस्बा बम्होरी
तहसील सिलवानी जिला रायसेन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– अखलेश कुमार आत्मज देवेन्द्र कुमार जैन
2– आशीष कुमार आत्मज देवेन्द्र कुमार जैन
निवासीगण कस्बा बम्होरी
तहसील सिलवानी जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0के0 नेमा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/1/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 10 पर पारित आदेश दिनांक 24–4–02 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, सिलवानी जिला रायसेन के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 17–3–11 को लगभग 9 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–6–2013 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई ।

अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 14–7–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 178 के अंतर्गत नामांतरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय का आदेश प्रारंभ से ही शून्यवत है, और ऐसे आदेश के विरूद्ध समय–सीमा लागू नहीं होती है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का नामांतरण तभी किया जा सकता था, जब आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण किया गया हो, जबकि आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में न तो वसीयतनामा, न दानपत्र, न हक त्याग, और न ही किसी प्रकार का कोई विलेख निष्पादित किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि किसी भी भूमि का बटवारा सहखातेदारों के मध्य या पारिवारिक विभाजन के आधार पर किया जा सकता है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण न तो सहखातेदार हैं, और न ही आवेदकगण के परिवार के सदस्य हैं । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को गुण–दोष पर निराकरण किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा 9 वर्ष अत्यधिक विलम्ब से अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण लगभग 30–35 वर्षों से कृषि कार्य कर रहे हैं एवं उनका निरंतर आधिपत्य चला आ रहा है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण के दादा एवं अनावेदकगण की दादी भाई–बहन होकर रक्त का संबंध था । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण को उनकी दादी के पारिवारिक बटवारे में प्राप्त हुई थी । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा पंजी पर बिना सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बटवारा आदेश पारित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 178 के अंतर्गत नामांतरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि जिस दिनांक को प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के नाम दर्ज हुई, उसी दिनांक को उक्त भूमि बटवारे में दूसरे को दे दी गई । स्पष्ट है कि नामांतरण पंजी पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही संदेहास्पद है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय–सीमा के बिन्दु पर प्रकरण का निराकरण करते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसे विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि जहां विचारण न्यायालय द्वारा गंभीर अनियमितता की गई हो, वहां उनके आदेश को समय–सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर स्थिर नहीं रखा जा सकता है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । चूंकि अपर आयुक्त द्वारा भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है इसलिए उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को गुण–दोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–7–2015, अनुविभागीय अधिकारी सिलवानी जिला रायसेन द्वारा दिनांक 25–6–2013 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर